भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2592

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पीडीएस कार्डधारक

2592. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)/गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कार्डधारकों की श्रेणी-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) आधार कार्ड से सत्यापन न किए जाने के कारण कितनी बार राशन देने से मना किया गया; और

(ग) उन भारतीय नागरिकों की संख्या और ब्यौरा क्या है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्ड धारक अथवा लाभार्थी नहीं हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार, विभाग अधिनियम के अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) श्रेणियों के तहत 80.67 करोड़ लाभार्थियों को वितरण हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न आवंटित करता है। एनएफएसए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक समान रूप से संचालित होता है और इस अधिनियम के तहत गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)/गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कोई श्रेणी नहीं है। एनएफएसए लाभार्थियों की राज्य-वार कवरेज दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में है।

(ख): विभाग ने आधार अधिनियम 2016 की धारा-7 के तहत जारी दिनांक 08/02/2017 की अधिसूचना (समय-समय पर संशोधित) के तहत राशन कार्डों के आधार संख्या से जोड़ने को पूर्ण करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई समय सीमा को दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ा दिया है। तब तक, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को पात्र राशन कार्ड/लाभार्थियों की सूची से हटाया नहीं जाएगा या केवल आधार संख्या के अभाव में या केवल आधार संख्या न होने, नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग समस्याओं या किसी अन्य तकनीकी कारणों आदि के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के आधार पर एनएफएसए के तहत खाद्यान्न के उनकी पात्रता के कोटे से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा।

...2/-

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों को अधिकतम कवरेज प्रदान करता है, जिनमें से वर्तमान में लगभग 80.67 करोड़ व्यक्ति एनएफएसए के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु कवर किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा तक राशन कार्ड जारी कर सकते हैं। एनएफएसए लाभार्थियों की राज्य-वार कवरेज दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में है।

*****

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2592 के उत्तर के भाग (क) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 31.10.2024 तक एनएफएसए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान कवरेज (लाख में)			
		एएवाई		प्राथमिकता	कुल व्यक्ति
		परिवारों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	
1	आंध्र प्रदेश	9.08	23.52	244.7	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	0.38	1.5	6.9	8.4
3	असम	6.92	28.08	223.08	251.17
4	बिहार	25.01	125.05	746.11	871.16
5	छत्तीसगढ	7.19	20.42	180.35	200.77
6	दिल्ली	0.69	2.78	70	72.78
7	गोवा	0.12	0.46	4.86	5.32
8	गुजरात	7.76	35.82	327.17	362.98
9	हरियाणा	2.68	11.35	115.14	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	1.65	6.82	23.07	29.88
11	झारखंड	8.94	34.76	229.43	264.19
12	कर्नाटक	10.97	43.91	358.02	401.93
13	केरल	5.96	25.59	129.21	154.8
14	मध्य प्रदेश	14.63	54.93	479.86	534.79
15	महाराष्ट्र	25.05	108.01	592.16	700.17
16	मणिपुर	0.64	1.91	18.97	20.87
17	मेघालय	0.7	2.91	18.54	21.46
18	मिजोरम	0.26	0.64	6.41	7.05
19	नगालैंड	0.48	2.11	11.94	14.05
20	ओडिशा	12.53	37.57	287.6	325.17
21	पंजाब	1.79	7.64	133.8	141.45
22	राजस्थान	6.29	22.29	417.72	440.01
23	सिक्किम	0.17	0.57	3.24	3.81
24	तमिलनाडु	18.64	65.78	298.34	364.12
25	तेलंगाना	5.67	15.95	175.74	191.62
26	त्रिपुरा	1.09	4.62	19.81	24.43
27	उत्तर प्रदेश	40.9	132.57	1377.26	1509.82
28	उतराखंड	1.84	7.92	54.02	61.94
29	पश्चिम बंगाल	16.42	54.99	546.85	601.84
30	अंडमान एवं निकोबार	0.04	0.14	0.46	0.61
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव	0.05	0.24	2.45	2.69
32	लक्षद्वीप	0.01	0.04	0.18	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0*	0.01#	2.98	2.99
34	पुडुचेरी (डीबीटी)	0.25	0.82	5.52	6.34
35	जम्मू एवं कश्मीर	2.33	10.61	61.8	72.41
36	लद्दाख	0.06	0.29	1.15	1.44
कुल		**237.19**	**892.62**	**7174.86**	**8067.47**

सूचना लाख में है, इसलिए चंडीगढ़ के आंकड़े पूर्ण संख्या में इस प्रकार हैं:

*221
#921

*****